



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना निदेशक का कार्यालय, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, एन.एच.ए.आई.
कॉम्प्लेक्स, कान्द्रा, पोस्ट भीतीया, थाना गोविन्दपुर, धनबाद-८२८१०६ (झारखण्ड)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Office of the Project Director, Project Implementation Unit, NHAI Complex
Kandra, P.O. Bhitia, P.S. Govindpur, Dhanbad-828109 (Jharkhand)

Ph. : 06540-283090, E-mail : dhan@nhai.org / nhaidhanbad@yahoo.in



UNDERTAKING FOR NOC of JUNGLE JHARI LAND UNDER BOKARO DIVISION FOR FOREST PROPOSAL NO. FP/JH/ROAD/146250/2021 DT. 21.08.2021 :-

NOC of Jungle Jhari Land (FCA 1980) duly authenticated by Addl. Collector & Dy. Commissioner, Bokaro is hereby submitted for consideration of proposal. However, FCA copy is forwarded to Commissioner Hazaribag by Dy. Commissioner, Bokaro vide its letter no. 2709/रातो dated 10.10.2022 for issuance of final NOC for GMJJ land. Accordingly, after receiving final authenticated copy of FCA 1980 from Commissioner, Hazaribag the same will be submitted to forest Department.

Sudhir Kumar

(Sudhir Kumar)
Project Director

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक...27-09/रा0,

प्रेषक,

उपायुक्त,
बोकारो।

सेवा में,

आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल,
हजारीबाग।

बोकारो, दिनांक...10/10/2022

विषय:-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भारत माला परियोजना अंतर्गत NH-320 के चौड़ीकरण हेतु चयनित भूमि गैर मजरूआ डीमड फारेस्ट (जंगल, जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

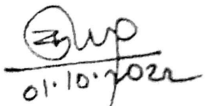
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भारत माला परियोजना अंतर्गत NH-320 के चौड़ीकरण हेतु चयनित भूमि बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार, कसमार एवं जरीडीह अंचल में अवस्थित विभिन्न मौजाओं में गैर मजरूआ डीमड फारेस्ट (जंगल, जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ इत्यादि) भूमि का अपयोजन हेतु कुल:-59.6084 हेक्टेयर (147.29 एकड़) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में संलग्न कर भेजी जा रही है। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पत्रांक-1105/5/PD/DHN/FLT/HN-320/809 दिनांक 29.09.2022 की छायाप्रति संलग्न की जाती है।

अतः अनुरोध है कि गैरमजरूआ जंगल भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


01.10.2022

उपायुक्त,
बोकारो।


Project Director
NHAI, PIU/
Dhanbad

आयुक्त कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग।

(राजस्व शाखा)

—अनापत्ति प्रमाण पत्र—

सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची का पत्रांक-1900/रा0, दिनांक 06.05.2015 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापक-1817/रा0, दिनांक 30.04.2015 के आलोक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भारत माला परियोजना अंतर्गत NH-320 के चौड़ीकरण के लिए चयनित भूमि किस्म गैर मजलूआ डीमड फॉरेस्ट (जंगल, जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

गैर मजलूआ डीमड फॉरेस्ट (जंगल, जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ इत्यादि) भूमि की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र०	अंचल का नाम	बीजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म भूमि
1	पैटरदार	घरगी	16	1	115	1.3005	जंगल
2					340	0.2748	जंगल
3					371	0.4434	जंगल
4					428	0.2622	जंगल
5					453	0.7665	जंगल
6					477	0.6849	जंगल
7					479	0.3599	जंगल
8		लुकेया	67	43	15	1.1677	जंगल
9					23	0.8646	जंगल
10					230	0.0147	जंगल
11					27	0.7683	जंगल
12		दारिद	65	92	124	0.4256	जंगल
13					128	0.4145	जंगल
14					133	0.3535	जंगल
15					269	0.0875	जंगल
16					364	2.7255	जंगल
17					386	0.2394	जंगल
18					514	0.0202	जंगल
19		लेपो	15	1	349	0.5227	जंगल
20					370	0.0106	जंगल
21					375	0.1416	जंगल
22					74	0.0052	जंगल
23		टकाहा	27	23	123	1.3004	जंगल
24					144	0.1094	जंगल
25				39	214	0.4471	जंगल
26					47	0.1628	जंगल
27		सदमाकला	28	57	15	2.7156	जंगल
28					213	1.4815	जंगल
29					312	2.1125	जंगल
30					32	0.7644	जंगल
31		सदमाखुर्द	25	49	107	0.0426	जंगल
32					56	1.5516	जंगल
33					128	0.6527	जंगल
34		चंद्रपुरा	24	31	253	0.7186	जंगल
35					94	0.9819	जंगल
36					41	0.7564	जंगल
37	जरीडीह	बोंघडीह	11	1	4282	1.0125	जंगल
38					750	0.2281	जंगल
39					760	0.0118	जंगल
40					785	0.2489	जंगल
41					798	0.0336	जंगल
42					800	0.0074	जंगल

Project Director
NHAI, PIU
Dhanbad

43					806	0.2474	जंगल			
44					832	0.0560	जंगल			
45					909	0.1295	जंगल			
46					919	0.3034	जंगल			
47					अल्याणपुर	81	55	462	0.0634	जंगल
48								990	2.0457	जंगल
49					भाराडीह	82	1	1385	0.6060	जंगल
50								1614	0.0201	जंगल
51								1630	0.6022	जंगल
52								1035	0.3420	जंगल
53	1045	1.4021	जंगल							
54	754	1.5946	जंगल							
55	973	0.0036	जंगल							
56	978	3.5364	जंगल							
57	992	4.5153	जंगल							
58	999	0.4007	जंगल							
59				1124				0.1911	जंगल	
60				1233				0.0546	जंगल	
61				1264				0.4658	जंगल	
62				1282	0.6961	जंगल				
63				1319	0.2019	जंगल				
64				1324	2.2645	जंगल				
65				दीतु	64	76	1326	0.0148	जंगल	
66							1330	0.2066	जंगल	
67							527	0.2826	जंगल	
68							563	0.7726	जंगल	
69	कसमार			612	0.1264	जंगल				
70				639	0.3602	जंगल				
71				727	0.5474	जंगल				
72				823	0.4176	जंगल				
73				204	0.2669	जंगल				
74				212	1.8872	जंगल				
75				328	0.3928	जंगल				
76				396	0.9450	जंगल				
77				425	1.5389	जंगल				
78				469	0.3262	जंगल				
79				482	0.7346	जंगल				
80				496	2.9851	जंगल				
81				18	0.6949	जंगल				
82	पण्डा	74	60	2	0.1726	जंगल				
Total:-					59.6084 Hec					

कुल रकबा- 147.29 एकड़ (59.6084 हेक्टेयर) में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

अपर समाहर्ता,
बोकारो।

उपायुक्ता,
बोकारो।

आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग।

Director
AI, PIU/
Dhanbad